कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/392/2022/.....1830 दिनांक: 22/05/2025

–:: आदेश ::–

इस न्यायाक्षेत्र के अधिनस्थ न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम सं0 10, जयपुर महानगर–II में पदस्थापित श्री सावरमल को श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर (हालः–श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम) के कार्यालय आदेश 1057 दिनांकित 29.01.2018 के द्वारा **शेट्ठी कमीशन के तहत दिनांक 01.01.2018 से लगातार** लिपिक ग्रेड–II के पद से रीडर/शरिस्तेदार ग्रेड–III/लिपिक ग्रेड–I के पदोन्नत पद पर पदोन्नति दी गई थी, उक्त पदोन्नति पद पर कर्मचारी का वेतन स्थिरीकरण नहीं होने के क्रम में श्री वर्मा द्वारा अण्डर टेंकिग दी गई कि "तत्समय मुझ प्रार्थी द्वारा वेतन स्थिरीकरण नहीं कराया गया था एवं उक्त प्रमोशन बाबत पूर्व में संबंधित न्यायक्षेत्र को प्रार्थी द्वारा वेतन स्थिरीकरण बाबत कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।" उक्तानुसार श्री वर्मा द्वारा देय अण्डर टेंकिग व लेखाकर्मी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त पदोन्नत पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल–08 (पूर्व वेतनमान में ग्रेड पे–2800/–) के अन्तर्गत पदोन्नति दिये जाने पर एतद्द्वारा निम्नानुसार वेतन निर्धारित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम, पद व न्यायालय का नाम	पदोन्नति से पूर्व धारित पद व उक्त पद पर आहरित वेतन	**A** श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर (हालः–श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम) के कार्यालय आदेश 1057 दिनांकित 29.01.2018 के द्वारा शेट्ठी कमीशन के तहत दिनांक 01.01.2018 से	**B** राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023 एवं स्पष्टीकरण दिनांकित 01.08.2023 के अनुसार
			पदोन्नत पद पर वेतन स्थिरीकरण पर मूल वेतन, देय दिनांक व आगामी वेतनवृद्धि दिनांक	पदोन्नत पद पर वेतन स्थिरीकरण पर मूल वेतन, देय दिनांक व आगामी वेतनवृद्धि दिनांक व आगामी पे–लेवल में नियत संशोधित मूल वेतन
1	2	3	4	5
1	श्री सांवर मल वर्मा लिपिक ग्रेड–I न्यायालयः– अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, क्रम सं0 10, जयपुर महानगर–II	दिनांक 01.01.2018 लिपिक ग्रेड–II 31400/– L-5	मूल वेतन 32300/– पे–लेवल L- 08 देय दिनांक 01.01.2018 आ.वेतनवृद्धि दि. 01.07.2018	मूल वेतन 33300/– पे–लेवल L- 08 देय दिनांक 01.01.2018 को नोशनल/काल्पनिक लाभ देय हैं आ.वेतनवृद्धि दि. 01.07.2018
			नोटः– कर्मचारी को कॉलम A अनुसार वास्तविक वेतनवृद्धियां/वित्तीय लाभ दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2023 तक नियमानुसार देय होगें।	नोटः– कर्मचारी को कॉलम B अनुसार काल्पनिक रूप से वेतनवृद्धियां दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2023 तक नियमानुसार देय होगी एवं इस क्रम में आगामी वेतनवृद्धियां संशोधित/स्वीकृत करते हुए वास्तविक वित्तीय लाभ दिनांकः–01.04.2023 से नियमानुसार देय होगें।

नोटः–

- श्री वर्मा का उपरोक्त वेतनस्थिरीकरण उनके द्वारा अपने पस्थापित न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम सं 10, जयपुर महानगर–II के माध्यम से प्रेषित प्रार्थना–पत्र में देय अण्डर टेंकिग ("तत्समय मुझ प्रार्थी द्वारा वेतन स्थिरीकरण नहीं कराया गया था एवं उक्त प्रमोशन बाबत पूर्व में संबंधित न्यायक्षेत्र को प्रार्थी द्वारा वेतन स्थिरीकरण बाबत कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।) व लेखाकर्मी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया हैं।
- उपरोक्त तालिका में उल्लेखित कर्मचारी को पदोन्नत पद पर श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर (हालः–श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम) के कार्यालय आदेश 1057 दिनांकित 29.01.2018 में उल्लेखित निर्देशानुसार वित्तीय लाभ देय होगे।

उपरोक्त तालिका में कॉलम A के अनुसार संबंधित कर्मचारी के वेतनस्थिरीकरण किये जाने के क्रम में निम्नानुसार बिन्दूओं की पालना की जावें:–

01. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर (हालः–श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम) के कार्यालय आदेश 1057 दिनांकित 29.01.2018 अनुसार कॉलम A में वेतनस्थिरीकरण किये जाने पर देय दिनांक से आगामी वेतनवृदियों को संशोधित/स्वीकृत करते हुए दिनांक 31.03.2023 तक ही एरियर कर्मचारी को देय होगा तत्पश्चात् 01.04.2023 से कॉलम B के अनुसार देय होगा।

उपरोक्त तालिका में कॉलम B के अनुसार संबंधित कर्मचारी के वेतनस्थिरीकरण किये जाने के क्रम में निम्नानुसार बिन्दूओं की पालना की जावें:–

01. प्रथमतः कॉलम A की पूर्ति की जावेंगी।
02. तत्पश्चात् उपरोक्त तालिका में उल्लेखित संबंधित कर्मचारीगण को राज्य सरकार के वित विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश दिनांकित 26.07.2023 व 01.08.2023 के अनुसार पदोन्नति की दिनांक को उनके नाम के सम्मुख उक्त अधिसूचना के अनुसार कॉलम B में वेतनस्थिरीकरण नियमानुसार देय तिथि को संशोधित किया जाता हैं, उक्त अधिसूचना अनुसार कॉलम B में संशोधित वेतनस्थिरीकरण किये जाने पर देय दिनांक से आगामी वेतनवृदियों को संशोधित/स्वीकृत करते हुए दिनांक 31.03.2023 तक वेतनवृद्वियां काल्पनिक होने के कारण कोई एरियर कर्मचारी को देय नहीं होगा एवं इस क्रम में आगामी वेतनवृद्वियां संशोधित/स्वीकृत करते हुए वित्तीय लाभ दिनांक 01.04.2023 से लगातार नियमानुसार देय होगें।
03. उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवापुस्तिका में किया जावें।

– sd –

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 392 / 2022 / 1831 दिनांक : 22 / 05 2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय
2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर
3. संबंधित न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय। (संलग्न सेवापुस्तिकाएं)
4. संबंधित कर्मचारी
5. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्र आदेश पत्रावली / रक्षित पत्रावली

22/5/25

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय